राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

ई-मेल : mandipar@hotmail.com वेबसाइट : www.upmandiparishad.in

पत्रांकः अधि0'क'-2(वरि0 सूची-ले0अ0-616)/2013- 1701 दिनांक: 05/9/ ,201

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद कार्यालय ज्ञाप संख्याः अधि0'क'-2(वरि0सूची-ले0अ0-616)/2012-204 दिनांक 12.12.2012 द्वारा शासनादेश संख्या 4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2012 दिनां 08 मई 2012 एवं शासनादेश संख्या 4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/ 2012 दिनांक 13 म 2012 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या अधि0'क'-2(वरि0 सूची-ले0अ0-616/118), 2009-80 दिनांक 22.04.2009 द्वारा मण्डी परिषद के लेखाधिकारियों की कमांक 1 से 28 त की अन्तिम रूप से निर्गत वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए लेखाधिकारी पद की कमांक- से 40 तक पद धारकों की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप से प्रकाशित करते हुए आपत्ति आमंत्रित की गयी थीं।

2- उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) श्री डी0पी0 द्विवेदी, लेखाधिकारी के प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2012 एवं 18.06.201 द्वारा आपत्ति की गयी है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम कमांक-30 पर अंकि है और उनसे कनिष्ठों का नाम कमांक- 18,19,20,26 एवं 27 पर दर्शाया गया है। उ कार्मिक विभाग की शासनादेश दिनांक 08.05.2012, शासनादेश दिनांक 13.05.2012 ए ज्येष्ठता नियमावली 1991 तथा सेवा विनियमावली 1984 के विनियम- 18(1) में वर्णि प्राविधानों के विपरीत बताते हुए उनका नाम कनिष्ठों से ऊपर रखे जाने का अनुरोध किय गया है।

(2) श्री आलोक कुमार बनर्जी, श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री श्याम किशो लेखाधिकारियों के संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.12.2012 द्वारा ज्येष्ठता नियमावली 1991 ए सेवा विनियमावली 1984 के विनियम- 18(1) में वर्णित प्राविधानों के विपरीत बताते हु उनका नाम उक्त कनिष्ठों से ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है। कमांक-26 श्री जगवीर सिंह एवं कमांक- 30 पर श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी उनसे कनिष्ठ हैं। परिषद द्वार जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 09.05.2003 का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पी के समक्ष रिट याचिका 1203 (एस0एस0) 2004 आलोक कुमार बनर्जी व अन्य बनाम उ0प्र सरकार मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित होने का उल्लेख करते हुए शासनादेश दिनांक 08 05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 द्वारा ज्येष्ठता नियमावली 1991 एवं सेवा विनियमावली 1984 के विनियम- 18(1) में वर्णित प्राविधानों के दृष्टिगत वरिष्ठता सूची को पुनः निर्धारित करन का अनुरोध किया गया है।

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। उल्लेखनीय है कि उ0प्र कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली-1984 के

प्राविधानान्तर्गत लेखाधिकारी की 50 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के हैं। विनियम 18(1) में प्राविधान है कि "एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में किसी प्रवर्ग या श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों अवधारित की जायेगी। विनियम–18(3) में प्राविधान है कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।"

4– उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम–8(2) में यह प्राविधान है कि:–

8(2) (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी हो ;

8(2) (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम–6 या नियम–7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

5– ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम–6 में यह प्राविधान है कि "जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियॉ केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।"

6– उपरोक्त प्राप्त आपत्तियों के कम में लेखाधिकारी पद की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के कमांक–18 श्री मुन्ना लाल, कमांक–19 श्री राम औतार, कमांक–20 श्री धर्मपाल सिंह, कमांक–26 श्री जगवीर सिंह तथा कमांक–27 श्री शिवाकान्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि परिषद आदेश संख्याः अधि0'क'–4/(वरि0सूची)/2013–1596 दिनांक 22.08.2013 द्वारा लेखा लिपिक पद की अन्तिम रुप से निर्गत वरिष्ठता सूची में उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारित है, जिसके अनुसार उक्त कार्मिक श्री डी0पी0 द्विवदी व अन्य कार्मिकों से कनिष्ठ हैं। तद्नुसार इनकी वरिष्ठता का निर्धारण लेखाधिकारी पद की वरिष्ठता सूची में किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया।

7– प्रत्यावेदक श्री आलोक कुमार बनर्जी, श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री श्याम किशोर गुप्ता का कथन कि लेखाकार पद की दिनांक 09.05.2003 द्वारा निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्याः 1203 (एस0एस0)/2004 आलोक कुमार बनर्जी व अन्य लम्बित है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश अभी पारित नहीं किया गया है। प्रत्यावेदकों द्वारा स्वयं को श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी से वरिष्ठ बताया गया है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लेखालिपिक पद की वरिष्ठता सूची प्राप्त आपत्तियों के निस्तारणोपरान्त परिषद आदेश संख्याः अधि0'क'–4/(वरि0सूची)/2013–1596 दिनांक 22.08.2013 द्वारा अन्तिम रुप से प्रकाशित है। तत्समय इसके विरुद्ध प्रत्यावेदक श्री आलोक कुमार बनर्जी एवं श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री श्याम किशोर गुप्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी।

8– अतएव शासनादेश दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 के कम में सेवा विनियमावली 1984 एवं ज्येष्ठता नियमावली 1991 में वर्णित उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निस्तारण करते हुए लेखाधिरियों की निम्नवत् वरिष्ठता सूची अन्तिम रुप से निर्गत की जाती है :–

क्र0 सं0	नाम सर्वश्री–	जन्म तिथि	नियुक्ति / पदोन्नति आदेश की तिथि	योगदान तिथि	नियुक्ति का स्रोत	जाति वर्ग	अभ्युक्ति
1.	हरिमोहन सिंह	01.01.1939	02.12.1991	16.07.1982	पदोन्नति	सामान्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर पदोन्नत / सेवानिवृत्त
2.	वी0के0 बाजपेई	05.07.1950	01.12.1991	31.07.1984	पदोन्नति	सामान्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर पदोन्नत / सेवानिवृत्त
3.	ए0पी0 द्विवेदी	18.07.1941	02.12.1991	31.07.1984	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
4.	आर0के0 दीक्षित	18.07.1943	02.12.1991	31.07.1984	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
5.	राधेश्याम श्रीवास्तव	08.08.1942	02.12.1991	11.09.1984	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
6.	एस0आर0 श्रीवास्तव	03.02.1949	02.12.1991	11.09.1984	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
7.	हर्षवर्धन	03.08.1948	03.06.1995	01.10.1984	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
8.	शैलेन्द्र कुमार शुक्ला	25.06.1950	03.06.1995	11.06.1984	पदोन्नति	सामान्य	मृतक
9.	राम प्रसाद	30.07.1949	03.06.1995	03.06.1987	पदोन्नति	अनु0 जाति	वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर पदोन्नत / सेवानिवृत्त
10.	तक्ष कुमार शुक्ला	06.05.1948	15.07.1997	16.07.1997	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
11.	उमेद चन्द्र	–	15.07.1997	–	पदोन्नति	सामान्य	सेवायें उत्तराखण्ड के अधीन
12.	विमल प्रकाश सिंह	28.12.1952	15.07.1997	16.07.1997	पदोन्नति	सामान्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत

13.	राम सनेही कटियार	15.07.1943	15.07.1997	21.07.1997	पदोन्नति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सेवानिवृ
14	मो0 अलीम	01.09.1949	15.07.1997	16.07.1997	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
15.	शिव प्रकाश सिंह बघेल	02.10.1945	15.07.1997	15.07.1997	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
16.	विनोद कुमार वर्मा	19.07.1951	15.07.1997	15.07.1997	पदोन्नति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सेवानिवृत्त
17.	दीनानाथ मिश्र	01.01.1952	15.07.1997	16.07.1997	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
18.	दिनेश चन्द्र शुक्ला	10.07.1949	06.05.1999	08.05.1999	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
19.	धर्म सिंह	–	06.05.1999	14.06.1999	पदोन्नति	अनु0 जाति	मृतक
20.	जगदम्बा प्रसाद शुक्ला	06.11.1949	06.05.1999	07.05.1999	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
21.	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	15.06.1948	04.11.2000	06.11.2000	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
22.	दिवाकर प्रसाद शुक्ला	01.01.1947	29.09.2000	29.09.2000	सीधी भर्ती	सामान्य	सेवानिवृत्त
23.	भूले सिंह भाटी	01.01.1954	13.06.2003	19.07.2003	पदोन्नति	सामान्य	मृतक
24.	बृजराज सिंह	13.03.1950	13.06.2003	–	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
25.	दुर्गा प्रसाद द्विवेदी	09.11.1953	09.09.2009	10.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
26.	उमेश कुमार सक्सेना	01.03.1952	09.09.2009	15.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
27.	मनमोहन स्वरूप भटनागर	05.10.1953	09.09.2009	14.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	– सेवानिवृत्त
28.	कमल किशोर गुप्ता	10.07.1954	09.09.2009	14.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
29.	आलोक कुमार बनर्जी	06.07.1955	09.09.2009	09.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	–
30.	श्याम किशोर गुप्ता	10.06.1954	09.09.2009	09.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	– सेवानिवृत्त
31.	बलबीर यादव	15.07.1954	09.09.2009	09.09.2009	पदोन्नति	अन्य पिछड़ा वर्ग	–

32.	जयपाल यादव	14.09.1955	09.09.2009	10.09.2009	पदोन्नति	अन्य पिछड़ा वर्ग	–
33.	मुन्ना लाल	01.11.1947	15.07.1997	15.07.1997	पदोन्नति	अनु0 जाति	सेवानिवृत्त
34.	अशोक कुमार अरोड़ा	14.03.1951	09.09.2009	09.09.2009	पदोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त
35.	राजेश कुमार अवस्थी	12.10.1956	17.12.2009	18.12.2009	पदोन्नति	सामान्य	–
36.	रमेश चन्द्र पाल	09.09.1956	23.04.2010	24.04.2010	पदोन्नति	अन्य पिछड़ा वर्ग	–
37.	राम औतार	15.01.1954	10.09.1997	11.09.1997	पदोन्नति	अनु0 जाति	वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत
38.	धर्मपाल सिंह	01.11.1960	10.09.1997	15.09.1997	पदोन्नति	अनु0 जाति	मृतक
39.	जगवीर सिंह	18.02.1960	04.11.2000	06.11.2000	पदोन्नति	अनु0 जाति	–
40.	शिवाकान्त	15.05.1959	04.11.2000	06.11.2000	पदोन्नति	अनु0 जाति	–

टिप्पणी:– कमांक– 25 से कमांक–30 तक अंकित कार्मिकों की वरिष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या: 1203 (एस0एस0)/2003 आलोक कुमार बनर्जी व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में होने वाले अन्तिम निर्णय से तद्नुसार प्रभावित होगी।

ह0/-

(डा0 अनूप यादव)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2– समस्त उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित लेखाधिकारी, मण्डी परिषद।
4– आदेश/व्यक्तिगत/गार्ड पत्रावली।

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)